

2025/652

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी बिलाडा जिला जोधपुर

व इजलास- मृदुला शेखावत, आर.ए.एस.

प्रार्थी

बनाम

अप्रार्थी

सुपली

सरकार

किस्म मुकदमा 136 एल.आर.एक्ट

प्रकरण संख्या :- 42/2025

-::आदेश::-

दिनांक:- 13/9/2025

प्रार्थी सुपली पत्नी श्री चम्पाराम जाति मेघवाल निवासी हरियाढाणा तहसील बिलाडा, जिला जोधपुर, राज. ने एक प्रार्थना पत्र बाबत राजस्व रेकॉर्ड में नाम दुरुस्ती का पेश किया है। प्रार्थना पत्र को जांच हेतु तहसीलदार बिलाडा को भेजा जावे।

तहसीलदार बिलाडा से जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई। जिसमें तहसीलदार बिलाडा ने अवगत करवाया है कि राजस्व ग्राम हरियाढाणा की जमाबंदी संवत् 2074 से 2077 के खाता सं. 1055 के खसरा नंबर 535 में दर्ज अशुद्ध नाम सुवली पत्नी चम्पालाल जाति मेघवाल निवासी हरियाढाणा का शुद्ध विवरण सुपली पत्नी चम्पालाल जाति मेघवाल निवासी हरियाढाणा की राजस्व रेकॉर्ड में शुद्ध किये जाने हेतु सहमत है। अतः जांच रिपोर्ट व पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 136 एल.आर.एक्ट का स्वीकार किया जाता है। अतः तहसीलदार बिलाडा को आदेशित किया जाता है कि वो उपरोक्तानुसार शुद्धि का नामान्तरकरण भरे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

2025
(मृदुला शेखावत)
उपखण्ड अधिकारी,
बिलाडा